न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 87/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीनी – 1. समी पत्नि अली
जाति मुसलमान,
निवासी जामगढ़, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.सरीयत पत्नि हकीम, जाति मुसलमान
निवासी जामगढ़, तहसील चौहटन
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीनी – श्री विलाल खान
विप्रार्थीगण – एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 18.01.2023

प्रार्थीनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के खातेदारी का खेत मौजा जामगढ़, पटवार क्षेत्र रमजान की गफन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 110 रकबा 34.18 बीघा, खसरा सं. 112 रकबा 08.14 बीघा का आया हुआ है। विप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी का खेत खसरा सं. 626/110 रकबा 43.12 बीघा प्रार्थीनी के सेढ़ा सेढ़ आया हुआ है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम करवाते समय विप्रार्थी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी सं. 1 के खेत के मध्य गलत तौर पर तरमीम करवा दी जिससे प्रार्थीनी का मौके पर क[illegible] में की गई तरमीम के विपरित हो गया। उक्त गलत तरमीम की आड़ में विप्रार्थी [illegible] के कब्जेसुदा ढाणियां व टांके पर अवैध आधिपतय करने पर उतारू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:39:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौके की तरमीम और नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम बिल्कुल विपरित है। उक्त गलत तरमीम को पुनः मौके एवं कब्जा काश्त व परिशिष्ट अ अनुसार दुरस्त करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि. एडी. नोटिस तलब किया गया। जिनकी तलबी प्राप्त हुई। प्रार्थीनी वकील की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 09 सीपीसी पर तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार चौहटन द्वारा उल्लेखित किया गया है कि वर्तमान नक्शे में अंकित तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त परस्पर विपरित है। मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति सलंग्न अनुलंग्नक बी अनुसार है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जामगढ़, पटवार क्षेत्र रमजान की गफन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 110 रकबा 34.18 बीघा, खसरा सं. 112 रकबा 08.14 बीघा की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा के अनुलग्नक 'ब' अनुसार दुरस्त की जाती है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर ह[illegible] से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:39:54 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पैमाना 1 इंच = 40 गट्ठा

अनु. "B"

मौके पर कब्जा काश्त अनुसार स्थिति

राजकीय उपयोगार्थ वि. सूर्या नगे

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(1) सामी पत्नि अली कौम मुस.

(2) सरीमत पत्नि हकीम कौम मुस.

6/11/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:39:54 IST
Reason: SelfAttested